रजिस्ट्री सं. डी. एल. — 33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2012/माघ 21, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 280
No. 24] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2012/MAGHA 21, 1933 [N.C.T.D. No. 280

भाग IV
PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 फरवरी, 2012

सं. एफ. 10(08)/2011-भू. व भ./भू.अ./15672.— जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवम् सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा शहरी सड़क विस्तार-II, गांव मुंडका, दिल्ली के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है ।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन सर्वसम्बंधित के लिए प्रचालित की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।

उपराज्यपाल इससे भी संतुष्ट हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के उपबंध इस भूमि पर लागू हैं, उक्त धारा की उप-धारा (4) के अधीन सहर्ष यह भी निर्देश है कि धारा 5क के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा-बिस्वांसी)	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा-बिस्वांसी)
मुंडका	0-12-0	91//20/2/1	0-12-0

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव ।

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th February, 2012

No. F. 10(8)/2011/L&B/LA/15672.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Urban Extension Road-II Village Mundka. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with

their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that Section.

The Lt. Governor, Delhi is satisfied also that provisions of sub-section (1) of the Section 17 of the said Act are applicable to this land and is further pleased under sub-section (4) of the said Section to direct that all provisions of Section 5A shall not apply.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa-Biswansi)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa-Biswansi)
Mundka	0-12-0	91//20/2/1	0-12-0

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 फरवरी, 2012

सं. एफ. डीएलसी/सीएलए/बीसीडब्ल्यू/99/7139.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 14 जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या यू-11030/1/2000-यूटीएल के साथ पठित भवन एवं अन्य निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत गठित विशेषज्ञ समिति के साथ परामर्श करके इसके द्वारा दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2002 का संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जा सकेगा ।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी ।

2. नियम 271 का संशोधन.—दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2002 (इसके बाद मूल नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम, 271 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**271 प्रसूति लाभ.**—निधि के महिला पंजीकृत सदस्य और पुरूष सदस्यों की पत्नियों को यथाविनिर्दिष्ट इस लाभ के लिये प्रस्तुत ऐसे अन्य प्रलेखों सहित फार्म नं. XXXIV में उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के आधार पर प्रसूति की अवधि के दौरान प्रसूति लाभ के रूप में 10,000 रुपये की राशि दी जा सकती है । उक्त लाभ निधि के सदस्य बनने से उक्त लाभग्राहियों के लिये उपलब्ध होंगे ।"

3. नियम 273 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम, 273 के उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**273 (5)** पेंशन की राशि एक हजार रुपये प्रतिमाह होगी । पांच वर्षों से अधिक सदस्यता के होने पर 100 रुपये की बढ़ोतरी प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये दी जाएगी ।

उपबंध है कि उक्त लाभ केवल उन पंजीकृत निर्माण कामगार को दिया जाएगा जो बोर्ड के साथ कम से कम एक वर्ष के लिये पंजीकृत हो चुके हैं ।"

4. नियम 274 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 274 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**274. भवन की खरीद या निर्माण के लिये ऋण.**—(1) बोर्ड, किसी सदस्य द्वारा दिये किसी आवेदन पत्र के आधार पर किसी भवन की खरीद के लिये या भवन के निर्माण के लिये ऋण के रूप में में एक लाख पचास हजार रुपये तक की राशि स्वीकृत कर सकता है । लाभग्राही फार्म सं. XXIX में आवेदन पत्र के साथ ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो कि बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट हो सकते हैं ।

शर्त यह है कि उक्त लाभ केवल उन पंजीकृत निर्माण कामगारों को मिलेगा जो बोर्ड के साथ कम से कम एक वर्ष के लिये पंजीकृत हैं ।

5. नियम 275 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 275 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**275 (1) अशक्तता पेंशन.**—बोर्ड उस लाभग्राही को अशक्तता पेंशन के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह की राशि स्वीकृत कर सकता है जो पक्षाघात, क्षयरोग, कुष्ट रोग, दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से अपंग हुआ है । पेंशन के अतिरिक्त वह अपंगता की प्रतिशतता के आधार पर तथा बोर्ड द्वारा यथानियत ऐसी शर्तों के अधीन पच्चीस हजार रुपये तक का अनुग्रह भुगतान पाने का पात्र होगा । उक्त लाभ निधि के सदस्य बनने की तिथि से उपलब्ध होगा ।

6. नियम 276 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 276 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**276-काम से संबंधित औजार की खरीद के लिये ऋण.**—दस हजार रुपये तक की राशि इस निधि के उन सदस्यों को कार्य संबंधी औजार की खरीद के लिये ऋण के रूप में स्वीकृत की जा सकेगी जिन सदस्यों ने निधि में तीन वर्ष की सदस्यता पूरी कर ली है और नियमित रूप से अंशदान करते हैं और जिनकी आयु पच्चपन वर्ष से अधिक नहीं है । वे इस ऋण के पात्र होंगे । ऋण की राशि साठ से अधिक किस्तों में वसूल की जाएगी । फार्म नं. XL में कोई आवेदन पत्र इस ऋण के लिये किया जाएगा इसके साथ बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्रलेख होंगे । ऋण को चुकाने की शर्तें बाद में निर्धारित की जाएंगी :

शर्त यह है कि उक्त लाभ केवल उन पंजीकृत निर्माण कामगारों को मिलेगा, जो बोर्ड के साथ कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिये पंजीकृत है ।"

7. **नए नियम 276(क) का संशोधन.**—मूल नियमावली के नियम 276 के बाद निम्नलिखित नया नियम 276 (क) सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"276(क).**काम से संबंधित औजारों की खरीद के लिये अनुदान.**—एक हजार रुपये तक की राशि पांच वर्ष में एक बार काम से संबंधित औजारों को खरीदने के लिये निधि के सदस्यों को अनुदान के रूप में स्वीकृत की जा सकेगी । जिन सदस्यों ने निधि के सदस्य के रूप में तीन वर्ष पूरे कर लिये हैं और जो नियमित रूप से अंशदान करते हैं और जिनकी आयु पच्चपन वर्ष से अधिक नहीं है वे इस अनुदान के पात्र होंगे । फार्म नं. XL(i) (तैयार किया जाना है) में आवेदन पत्र इस अनुदान के लिये किया जायेगा जिसके साथ बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्रलेख लगे होंगे ।

शर्त यह है कि उक्त लाभ केवल उन पंजीकृत निर्माण कामगारों को मिलेगा जो बोर्ड के साथ कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत हैं ।

8. **नियम 277 का संशोधन.**—मूल नियमावली के नियम 278 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"277. **अन्त्येष्टि सहायता के लिये अनुदान.**—बोर्ड किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अन्त्येष्टि के लिये किसी सदस्यों के नामिती/आश्रितों को पांच हजार रुपये की राशि स्वीकृत कर सकता है । इस लाभ के लिये फार्म नं. XLI में काई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा । उक्त लाभ पंजीकरण की तिथि से लागू होगा ।"

9. **नियम 278 का संशोधन.**—मूल नियमावली के नियम 278 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"278. **मृत्यु लाभ का भुगतान.**—बोर्ड, सदस्य की मृत्यु की स्थिति में उसके मनोनीत/आश्रित को मृत्यु लाभ के रूप में पचास हजार रुपये की राशि स्वीकृत कर सकता है । यदि मृत्यु रोजगार के दौरान दुर्घटनावश हुई है, सदस्य के मनोनीत/आश्रितों को मृत्यु लाभ के रूप में एक लाख रुपये की राशि दी जा सकती है । यह राशि मृतक सदस्य को तत्समय लागू अन्य कानूनों के अंतर्गत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी । यह लाभ पंजीकरण की तिथि से लागू होंगे ।"

10. **नियम 279 का संशोधन.**—मूल नियमावली के नियम 279 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"279. **मृत्यु लाभ के लिए आवेदन.**—(1) नियम 278 के अंतर्गत मृत्यु लाभ प्राप्त करने का पात्र नामांकित व्यक्ति सचिव या इस उद्देश्य हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी को सरकारी डाक्टर जो सहायक सर्जन से छोटे पद का न हो या नामित नगर निगम अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में मृत्यु हुई है द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र तथा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ लगाएगा ।"

11. **नियम 281 का संशोधन.**—मूल नियमावली के नियम 281 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"281. **शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता.**—पंजीकृत सदस्य के बच्चों को नीचे वर्गीकृत तरीके से शिक्षा के लिए सहायता दी जा सकेगी :—

(i) कक्षा-1 से कक्षा-8 तक 100 रुपये प्रतिमास (1200 रुपये प्रतिवर्ष)

(ii) कक्षा-9 से कक्षा-10 तक 200 रुपये प्रतिमास (2400 रुपये प्रतिवर्ष)

(iii) कक्षा-11 से कक्षा-12 तक 500 रुपये प्रतिमास (6000 रुपये प्रतिवर्ष)

(iv) स्नातक स्तर तक 1500 रुपये प्रतिमास (18000 रुपये प्रतिवर्ष)

(v) आईटीआई पाठ्यक्रम तक 1500 रुपये प्रतिमास (18000 रुपये प्रतिवर्ष)

(vi) पॉलिटेक्निक डिप्लोमा (तीन वर्ष) पाठ्यक्रम तक 2500 रुपये प्रतिमास (30000 रुपये प्रतिवर्ष)

(vii) तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, एमबीए तक 5000 रुपये प्रतिमास (60000 रुपये प्रतिवर्ष)

शर्त है कि सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् तथा/या केन्द्र/राज्य सरकार से अनुमोदित गैर-सरकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान से होने चाहिए ।

उक्त (i), (ii) तथा (iii) हेतु वित्तीय सहायता सदस्यों को उनके बोर्ड में पंजीकरण की तिथि से प्राप्त होगी ।

उक्त (iv), (v), (vi) तथा (vii) हेतु वित्तीय सहायता सदस्यों को एक वर्ष से अधिक की सदस्यता होने पर प्राप्त होगी ।

12. **नियम 282 का संशोधन.**—मूल नियमावली के नियम 282 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"282. **विवाह हेतु वित्तीय सहायता.**—लगातार तीन वर्ष तक सदस्यता रखने वाला पंजीकृत निर्माण कामगार निम्न प्रकार से वित्तीय सहायता पाने पात्र होगा:—

(i) पंजीकृत महिला सदस्य का विवाह—दस हजार रुपये।

(ii) पंजीकृत पुरुष सदस्य का विवाह—पाँच हजार रुपये ।

(iii) पंजीकृत व्यक्ति की बेटी का विवाह—दस हजार रुपये ।

(iv) पंजीकृत व्यक्ति के बेटे का विवाह—पाँच हजार रुपये ।

उक्त (iii) तथा (iv) पर सहायता लाभार्थी को किन्हीं दो बच्चों के विवाह के लिए प्राप्त होगी । बोर्ड द्वारा उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन फार्म सं. XLIV में दिया जाएगा ।

13. **नियम 283 का संशोधन.**—मूल नियमावली के नियम 283 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"283 पारिवारिक पेंशन.—पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन जीवित पति/पत्नी को दी जायेगी। पेंशन की राशि पेंशनभोगी द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि का पचास प्रतिशत या पाँच सौ रुपये इनमें जो अधिक हो, मिलेगी । आवेदन बोर्ड द्वारा उल्लिखित दस्तावेजों के साथ फार्म सं. XLIV में पेंशन भोगी की मृत्यु तिथि से तीन माह में करना होगा :

शर्त है कि उक्त लाभ केवल उन्हीं पंजीकृत निर्माण कामगारों को प्रदान किये जायेंगे जिनका बोर्ड के पास एक वर्ष की अवधि से कम का पंजीकरण नहीं होगा ।

14. **नये नियम 283क का सन्निवेश.**—मूल नियमावली के नियम 283 के पश्चात् निम्नलिखित नये निमम 283 (क) को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"283(क). **दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अधीन पंजीकृत निर्माण कामगारों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा निर्माण अकादमी की स्थापना.**—(1) बोर्ड पंजीकृत भवन व अन्य निर्माण कार्यों में लगे कामगारों या उनके पारिवारिक सदस्यों को उनकी कुशलता बढ़ाने या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये दिल्ली या दिल्ली से बाहर चलाए जाने वाले केन्द्र या राज्य सरकार की संबंधित सांविधिक अधिकरणों या नियामक निकायों से मान्यता प्राप्त सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र के संस्थानों या तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षण केन्द्रों, संस्थानों या श्रेष्ठता के लिए अकादमियों की स्थापना तथा अनुरक्षण हेतु उपकर निधियों से आवश्यक खर्च करेगा ।

(2) बोर्ड, प्रशिक्षण शुल्क, परीक्षण एवं प्रमाणन शुल्क, प्रशिक्षण अवधि में मजदूरी हानि की प्रतिपूर्ति की वृत्ति देने, औजारों तथा उपभोज्य सामान की खरीद तथा खाने और ठहरने तथा इसके आनुषंगिक सभी पक्षों पर होने वाला आवश्यक खर्च भी उपकर से कर सकता है।"

15. **नियम 285 (2) को हटाना.**—मूल नियमावली के नियम 285 में उप-नियम (2) को हटाया जायेगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
बी.वी. सेल्वराज, प्रधान सचिव

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th February, 2012

F. No. DLC/CLA/BCW/99/7139.—In exercise of the powers conferred by Section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. U-11030/1/2000-UTL, dated the 14th July, 2000, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after consultation with the Expert Committee constituted under Section 5 of the said Act, hereby makes the following rules to amend the Delhi Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2002, namely :—

RULES

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Delhi Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 271.—In the Delhi Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2002 (hereinafter referred to as "the principal Rules"), for rule 271 the following rule shall be substituted, namely :—

"271. Maternity benefit.—The women registered members and wives of male members of the fund may be given Rs. 10,000 as maternity benefit during the period of maternity, on an application made by her/him in Form No. XXXIV with such other documents as may be specified shall be submitted for this benefit. The said benefit shall be available for above beneficiaries from the date of their becoming members of the Fund :"

3. Amendment of rule 273.— In the principal Rules, in rule 273, for sub-rule (5) the following shall be substituted, namely :—

"273(5). The amount of pension shall be One Thousand Rupees, per mensem. An increase of hundred rupees shall be given for every completed year of membership beyond five years. The Board may with the previous approval of the Government revise the pension :

Provided that the said benefit shall be extended only to those registered construction workers who have been registered with the Board for not less than one year."

4. Amendment of rule 274.— In the principal Rules, in rule 274, for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely :—

"274. Advance for purchase or construction of house.— (1) The Board may, on an application by a member, sanction an amount not exceeding one lac fifty thousand rupees as advance for the outright purchase of a house or for the construction of house. The beneficiary shall produce along with the application in Form No. XXIX such documents as may be specified by the Board :

Provided that the said benefit will be extended only to those registered construction workers who have been registered with the Board for not less than one year."

5. Amendment of rule 275.—In the principal Rules, in rule 275, for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely :—

"275 (1). Disability pension.—The Board may sanction an amount of One Thousand Rupees per mensem as disability pension to a beneficiary who is permanently disabled due to paralysis, leprosy, T.B., accident etc. In addition to the pension, he will be eligible for an *ex- gratia*

payment of not more than twenty five thousand rupees depending upon the percentage of disability and subject to such condition as may be fixed by the Board. The said benefit shall be available from the date of becoming members of the Fund."

6. Amendment of rule 276.—In the principal Rules, in rule 276, the following shall be substituted, namely :—

"276. Loan for the purchase of work related Tools .— An amount not exceeding ten thousand rupees may be sanctioned as loan to the members of the fund, for the purchase of work related tools. Members who have completed three years membership in the Fund and who remit contribution regularly and where age does not exceed fifty five years, will be eligible for this loan. The loan amount shall be recovered in not more than sixty installments. An application in Form No. XL shall be made for this loan with such other documents as may be specified by the Board. Terms and conditions of re-payment of loan shall be prescribed subsequently.

Provided that the said benefit shall be extended only to those registered construction workers who have been registered with the Board for not less than three years."

7. Insertion of new rule 276 (A).—In the principal Rules after rule 276 following new rule 276 (A) shall be inserted, namely:—

"276(A). Grant for the purchase of work related tools.— An amount of one thousand rupees may sanctioned as grant to the members of the Fund, for the purchase of work related tools once in five years. Those who have completed three years membership in the Fund and those who remit contribution regularly and whose age does not exceed fifty five years, will be eligible for this grant. An application in Form No. XL(i) (to be devised) shall be made for this grant along with such other documents as may be specified by the Board:

Provided that the said benefit will be extended only to those registered construction workers who have been registered with the Board for not less than one years".

8. Amendment of rule 277.— In the principal Rules, in rule 278, the following shall be substituted, namely :—

"277. Payment of Funeral Assistance-The Board may sanction an amount of five thousand rupees to the nominees /dependents of a member towards funeral expenses in case of death of a member. An application in Form No. XLI shall be submitted for this benefit. The said benefit shall be applicable from the date of registration."

9. Amendment of rule 278.— In the principal Rules, in rule 278, the following shall be substituted, namely :—

"278. Payment of Death Benefit-The Board may sanction an amount of fifty thousand rupees to the nominees/dependents of a member towards death benefit, in case of death of the member. If the death is due to an accident, during the course of employment, the nominee/ dependents of member may be given one lac rupees towards death benefit. This amount will be in addition to the amount of compensation which may be payable to the deceased member under any other law for the time being in force. The said benefit will be applicable from the date of registration ."

10. Amendment of rule 279.— In the principal Rules, in rule 279, for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely:—

"279. Application for Death Benefit (1) .- A nominee who is entitled to Death benefit under Rule 278 shall submit to the Secretary or any officer authorised for this purpose the death certificate duly issued by a Government doctor not below the rank of an Assistant Surgeon or designated Municipal Authority in whose jurisdiction death takes place along with the application and other documents specified by the Board."

11. Amendment of rule 281.— In the principal Rules, in rule 281, the following shall be substituted, namely :—

"281. Financial Assistance for education.— Children of the registered members may be given financial assistance for education as classified below:—

(i) Class-I to Class-VIII is Rs. 100 per month (Rs. 1200 PA)

(ii) Class-IX to Class-X is Rs. 200 per month (Rs 2400 PA)

(iii) Class-XI to Class-XII is Rs. 500 per month (Rs 6000 PA)

(iv) Graduation level is Rs. 1500 per month (Rs. 18000 PA)

(v) ITI Courses- Rs. 1500/- per month (Rs. 18000 PA)

(vi) Polytechnic Diploma (Three Years) Courses- Rs. 2500 per Month (Rs. 30000 PA)

(vii) Technical Course such as Engineering, Medicine, MBA - Rs. 5000 per month (Rs. 60000 PA) :

Provided that all Vocational Courses should be approved by National Council for Vocational Training/ State Council for Vocational Training and/or any private vocational training institute approved by Central/State Government.

Financial assistance for (i), (ii) and (iii) above shall be available to members from the date of their registration with the Board.

Financial assistance for (iv), (v), (vi) and (vii) above shall be available to members who have membership for more than one year .

12. Amendment of rule 282.— In the principal Rules, in rule 282, the following shall be substituted, namely:—

"282. Financial Assistance for marriage-A registered construction worker having continuous membership for three years shall be eligible to get financial assistance as per the following :

(i) Marriage of female registered member- Rupees ten thousand

(ii) Marriage of male registered member- Rupees five thousand

(iii) Marriage of daughter of registered members- Rupees ten thousand

(iv) Marriage of son of registered members- Rupees five thousand

The assistance at (iii) and (iv) above shall be provided for the marriage of any two children of the beneficiary. An application in Form No. XLIV shall be submitted along with such other documents as may be specified by the Board."

13. Amendment of rule 283. — In the principal Rules, in rule 283 the following shall be substituted, namely:—

"**283. Family pension** - In the event of death of a pensioner family pension shall be given to the surviving spouse. The amount of pension will be fifty percent of the pension received by the pensioner or five hundred rupees which ever is higher. An application in Form No. XLV shall be submitted with such documents as may be specified by the Board within three months from the date of death of the pensioner:

Provided that the said benefit shall be extended only to those registered construction workers who have been registered with the Board for not less than one year."

14. Insertion of new Rule 283(A).—In the principal Rules, after rule 283, the following new rule 283 (A) shall be inserted, namely.—

"283(A). Imparting vocational training to registered construction workers and setting up of Construction Academy for registered construction workers under Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board - (1) The Board may incur necessary expenses from cess funds for the establishment and maintenance of training centres, institutions or academies of excellence and in collaboration with technical and vocational institutions or institutes, duly recognized by the concerned statutory authorities or regulatory bodies of the Central or State Governments, both in the public and private sector, for imparting training and enhancement of skills to the registered building and other construction workers or their family members at the training centres or academies run by such institutions or institutes in Delhi or outside Delhi.

(2) The Board may also incur necessary expenses from cess funds towards the training fees, testing and certification fees, stipends to compensate for loss of wages during the training period, purchase of tools and consumables and boarding and lodging expenses during such training programme and all aspects incidental thereto."

15. Omission of rule 285(2).— In the principal Rules, in rule 285, sub-rule (2) shall be omitted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

B. V. SELVARAJ, Principal Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.